



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्रीमती सरला देवी गोयल पत्नी श्री सतीश चन्द्र गोयल निवासी 46 वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 6/3 में 0.1589 हैक्टे. किला नं. 6/5 में 0.0174 हैक्टे. (खाला) किला नं. 7/2 में 0.1229 हैक्टे. किला नं. 14/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 15/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) किला नं. 16/1 में 0.2270 हैक्टे. किला नं. 16/2 में 0.0260 हैक्टे. (खाला), किला नं. 17/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 24/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 25/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) यथाकुल 1.5871 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2025-26/101353 दिनांक 23.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 27.06.2025 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवेदन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में उल्लिखित अनुज्ञेय उपयोग/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही किये जाने के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.05.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/632 दिनांक 13.05.2025 के एजेण्डा संख्या 05 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय योजना का नाम "Gokulam Palm Sector-10" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (जारी मांग पत्र क्रमांक ऑनलाइन राजकाज रफ 15962891 दिनांक 17.06.2025 में अंकित राशि) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 15,87,100/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,17,420/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 12,69,680/- रुपये एवं बीएसयूपी शैल्टर फण्ड राशि 2,00,747/- रुपये यथाकुल राशि 14,70,427/- रुपये जरिये रसीद संख्या 59-1728 दिनांक 04-07-2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 13,24,930/- रुपये 90 दिवस की समयावधि में जमा करवाये जाने हेतु जरिये एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 05051530007846 चेक संख्या 000232 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड {Resi. K-19, K-20 K-21 Each Size 25'-0" X 70'-0" Feet, L-37, L-38, L-39 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, L-40 Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Informal Size As Approved 3532.44 Sq. Feet, Total 07 Resi. Plots & Informal} न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता श्रीमती सरला देवी गोयल पत्नी श्री सतीश चन्द्र गोयल निवासी 46 वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

----1/3----

ATP/ PAGE380

Sarla Goyal

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.14 06:01:16 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
17172571

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 935001

एजेण्डा सं. 05

क्र.सं.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2024-25/101353
1	आवेदक का नाम व पता	श्रीमती सरला देवी गोयल पत्नी श्री सतीश चन्द्र गोयल निवासी 46 वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 6/3 में 0.1589 हैक्टे. किला नं. 6/5 में 0.0174 हैक्टे. (खाला) किला नं. 7/2 में 0.1229 हैक्टे. किला नं. 14/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 15/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) किला नं. 16/1 में 0.2270 हैक्टे. किला नं. 16/2 में 0.026व हैक्टे. (खाला), किला नं. 17/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 24/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 25/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) यथाकुल 1.5871 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट एवं दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है।
6	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विवरण	संलग्न साईट प्लान अनुसार मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट एवं 120 फीट चौड़ी सड़क के अन्तर्गत आवेदक की आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
7	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	प्रस्तावित भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2024-25/101353 दिनांक 23.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित है।
8	तकनीकी परिक्षण का आधार एवं संक्षमता	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविनि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिराशी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास ब्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।															
9	आवेदित भूमि के तकनीकी परीक्षण के अनुसार तकनीकी मानदण्ड	1. प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का प्रयोजन मास्टर प्लान 2017-2035 एवं जोनल प्लान के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ है। 2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक आवासीय योजना हेतु पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 12 मीटर/40 फीट निर्धारित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट एवं दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। 3. योजना के राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:- <table> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>AREA (वर्गफीट)</th><th>प्रतिशत</th></tr> <tr> <td>आवासीय</td><td>82900.00</td><td>48.54 %</td></tr> <tr> <td>इन्फार्मल</td><td>3532.44</td><td>2.07%</td></tr> <tr> <td>सड़क</td><td>84367.56</td><td>49.39 %</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>170800.00</td><td>100.00%</td></tr> </table>	प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत	आवासीय	82900.00	48.54 %	इन्फार्मल	3532.44	2.07%	सड़क	84367.56	49.39 %	कुल	170800.00	100.00%
प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत															
आवासीय	82900.00	48.54 %															
इन्फार्मल	3532.44	2.07%															
सड़क	84367.56	49.39 %															
कुल	170800.00	100.00%															

निर्णय :- उपरोक्तानुसार तकनीकी मानदण्ड पूर्ण होने पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आवेदित प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ लेआउट प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊजाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 113.2 अनुसार सड़क पर सुविधाजनक मोड़ (बुक्कड़) हेतु योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रिडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा। जिसकी सुनिश्चिता निर्माण स्वीकृति के दौरान की जानी होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फार्मल सेक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र ब्यास में निहित होगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉटड डवलपमेंट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास ब्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसाधी अभियन्ता
नगर विकास ब्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास ब्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



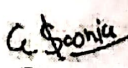
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान एवं समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चिता की जानी होगी।

6. योजना/स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, पार्क होर्टिकल्चर, सीवरेज एवं पेयजल आदि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा की जानी होगी।
7. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
8. आवेदित योजना के आस-पास अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृत सड़कों का प्रश्नगत योजना में यथा संभव मिलान किया जाना होगा।
9. सैलग्न टी.एस सर्वे अनुसार आवेदित भूमि में से 33 के.वी. लाईन गुजर रही है। जिसके स्थानान्तरण की समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी।
10. टी.एस सर्वे अनुसार योजना के पूर्वी दिशा में से गुजर रहे सिंचित खाला पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसाधी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)



Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

एजेण्डा सं. 05

क्र.सं.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2024-25/101353
1	आवेदक का नाम व पता	श्रीमती संरला देवी गोयल पत्नी श्री सतीश चन्द्र गोयल निवासी 46 वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 30 के किला नं. 6/3 में 0.1589 हैक्टे. किला नं. 6/5 में 0.0174 हैक्टे. (खाला) किला नं. 7/2 में 0.1229 हैक्टे. किला नं. 14/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 15/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) किला नं. 16/1 में 0.2270 हैक्टे. किला नं. 16/2 में 0.026व हैक्टे. (खाला), किला नं. 17/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 24/2 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.2280 हैक्टे. किला नं. 25/2 में 0.0250 हैक्टे. (खाला) यथाकूल 1.5871 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट एवं दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है।
6	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विवरण	संलग्न साईट प्लान अनुसार मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट एवं 120 फीट चौड़ी सड़क के अन्तर्गत आवेदक की आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
7	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	प्रस्तावित भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2024-25/101353 दिनांक 23.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित है।
8	तकनीकी परिक्षण का आधार एवं संक्षमता	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविनि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवंटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशायी अगियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।															
9	आवेदित भूमि के तकनीकी परीक्षण के अनुसार तकनीकी मानदण्ड	1. प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का प्रयोजन मास्टर प्लान 2017-2035 एवं जोनल प्लान के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ है। 2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक आवासीय योजना हेतु पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 12 मीटर/40 फीट निर्धारित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट एवं दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। 3. योजना के राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>AREA (वर्गफीट)</th><th>प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आवासीय</td><td>82900.00</td><td>48.54 %</td></tr> <tr> <td>इन्फोरमल</td><td>3532.44</td><td>2.07%</td></tr> <tr> <td>सड़क</td><td>84367.56</td><td>49.39 %</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>170800.00</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>	प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत	आवासीय	82900.00	48.54 %	इन्फोरमल	3532.44	2.07%	सड़क	84367.56	49.39 %	कुल	170800.00	100.00%
प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत															
आवासीय	82900.00	48.54 %															
इन्फोरमल	3532.44	2.07%															
सड़क	84367.56	49.39 %															
कुल	170800.00	100.00%															

निर्णय :- उपरोक्तानुसार तकनीकी मानदण्ड पूर्ण होने पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आवेदित प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ लेआउट प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊजाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 113.2 अनुसार सड़क पर सुविधाजनक मोड़ (बुक्कड़) हेतु योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा। जिसकी सुनिश्चिता निर्माण स्वीकृति के दौरान की जानी होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फोरमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

C. Sonia
अधिशायी अगियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



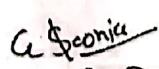
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान एवं समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।

6. योजना/स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, पार्क होर्टिकल्चर, सीवरेज एवं पेयजल आदि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा की जानी होगी।
7. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
8. आवेदित योजना के आस-पास अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृत सड़कों का प्रश्नगत योजना में यथा संभव मिलान किया जाना होगा।
9. संलग्न टी एस सर्वे अनुसार आवेदित भूमि में से 33 के.वी. लाईन गुजर रही है। जिसके स्थानान्तरण की समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी।
10. टी.एस सर्वे अनुसार योजना के पूर्वी दिशा में से गुजर रहे सिंचित खाला पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसाधी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार सगस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाइट, सड़कों किनारों होर्टिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- शेष सभी विकास कार्य ऑवर हैड वाटर टैंक निर्माण, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा रहन अन्तिम भूखण्ड को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उज्जर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगे।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- आवेदित भूमि का श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। आवेदित भूमि के दक्षिणी-पूर्वी कॉर्नर भाग में मास्टर प्लान में सर्किल दर्शित है। जिसे योजना के स्वीकृत ले आउट प्लान में दर्शितानुसार/स्वीकृतानुसार यथावत कायम किया जाना होगा।
- आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 16'-6" फीट चौड़ा राजस्व रास्ता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 120 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 10.0 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों को यथावत कायम किये जाने हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की भूमि में से आवश्यक भूमि निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष में सड़क उपयोग हेतु जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। शेष भूमि पर योजना का क्रियान्वन किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बंध्य रहेंगे।
- अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित की है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- योजना में स्वीकृत **Informal Size As Approved Total 3532.44 Sq. Feet** एवं स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड में भविष्य की आवश्यकतानुसार दुकानें प्रस्तावित की जाती है तो विभागीय आदेशानुसार आवंटन/वैधान/निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होंगी एवं योजना में ठेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाइट का उपयोग किया जावेगा।
- योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 18 माह (निर्धारित समयावधि) में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।

---2/3---

ATP/ PAGE381

✓ Sarla Goyal

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.14 06:01:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17172571

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

11. टउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
12. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टउनशिप पोलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
13. योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रुल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जावेगा एवं राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी एवं योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् ही विकासकर्ता/खातेदार द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जायेगा। रैरा में पंजीयन नहीं होने पर न्यास द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।
14. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रैरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक/खातेदार द्वारा नियमानुसार पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रैरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
15. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त पेज संख्या 1, 2, 3 अनुसार अंकित समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

Sarla Goyal

क्रमांक :- नियोजन/2025/
प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/विकासकर्ता श्रीमती सरला देवी गोयल-पत्नी श्री सतीश चन्द्र गोयल निवासी 46 बृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

---3/3---

ATP/ PAGE382

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.14 06:01:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17172571

Scanned with OKEN Scanner

